# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार, RAS

निगरानी संख्या : 17/2018

प्रदीप सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह दत्तक पुत्र स्व0 श्री उम्मेद सिंह, जाति—राजपूत, निवासी—ग्राम सिंगोद खुर्द पंचायत समिति वाया खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर हालवासी 75, चांद बिहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर।

निगरानीकर्ता,

बनाम

1. विमला देवी पत्नी श्री गोपाललाल, जाति—जाट, निवासी—ग्राम सिंगोद खुर्द, वाया खेजरोली, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला—जयपुर।
2. ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द जरिये सरपंच, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़।
3. ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द जरिये सचिव, ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द, पंचायत समिति गोविन्दगढ़।
4. पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जरिये प्रधान पंचायत समिति, गोविन्दगढ़, जिला—जयपुर।
5. पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला—जयपुर।

गैर—निगरानीकर्तागण,

( पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 (1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.2016 पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर। )

उपस्थितः—

1. श्री हेमेन्द्र सिंह राणावत, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री सुनील उप्पल, अभिभाषक, गैर—निगरानीकर्ता सं0 1 की ओर से।
3. श्री विजय चाहर, अभिभाषक, गैर—निगरानीकर्ता सं0 2 लगा0 5 की ओर से।

## निर्णय दिनांक : 28.08.19

यह निगरानी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 को अपास्त करने बाबत् एवं ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द द्वारा जारी किया गया कुर्सीनामा सं0 ग्रा.प./2015—16/156 दिनांक 26/20.10.2015 के आदेश को बहाल रखे जाने बाबत् पेश की गई है।

उक्त आशय की पंचायत निगरानी पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस गैर—निगरानीकर्तागण जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई, जो शामिल मिसल कराई गई।

निगरानी के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि यह निगरानी, निगरानीकार द्वारा पंचायत समिति गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया है कि अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जयपुर जिला—जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

बिना ही राजनैतिक प्रभाव के कारण पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा निर्णय पारित किया गया है। निगरानीकार ने निगरानी में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द द्वारा ग्राम पंचायत की पाक्षिक मिंटीग दिनांक 20.10.2015 को प्रदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सर्वसम्मति से निर्णय कर उम्मेद सिंह पुत्र कान सिंह के फौत होने पर कुर्सीनामा सं0 ग्रा.प./2015–16/156 दिनांक 26.10.2015 जारी किया गया है। जिसमें उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 कान सिंह के फौत होने पर प्रदीप सिंह को दत्तक पुत्र अंकित होने का कुर्सीनामा जारी किया गया है। निगरानीकार के पक्ष में ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द द्वारा कुर्सीनामा नियमानुसार पाक्षिक मिंटिग में जारी किया गया है, लेकिन गैरनिगरानीकार सं0 1 विमला देवी के परिवार वाले राजनैतिक पदों पर एवं राजनैतिक प्रभुत्व होने के कारण पंचायत समिति गोविन्दगढ को प्रभाव में लेकर निर्णय करवाया गया है। ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द द्वारा जारी किया गया कुर्सीनामा कोरम द्वारा विचार विमर्श कर जारी किया गया है। ग्रामवासी को रिकार्ड के आधार पर कुर्सीनामा जारी करना ग्राम पचांयत की नियमावली में आता है। इसलिए ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द द्वारा नियमानुसार कुर्सीनामा जारी किया गया है। अतः पंचायत समिति गोविन्दगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 निरस्त किया जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द प्रार्थी निगरानीकार को जो कुर्सीनामा जारी किया है जो विधि व नियमानुसार जारी किया उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता व त्रुटि नही है। ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द ने निगरानीकार के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करके व ग्राम पंचायत में आम सभा में प्रस्ताव लेकर कुर्सीनामा जारी किया है, जिसका ग्राम पंचायत को अधिकार था। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में मात्र कुर्सीनामा जारी किया गया है ना कि दत्तक पुत्र की घोषणा की है।

दत्तक (गोदनामा) में किसी को भी किसी प्रकार का कोई संदेह होता है तो इन तथ्यों को सिर्फ सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह राजस्व अदालतों में विचारण से परे है एवं पंचायती राज को भी गोदनामें पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने का अधिकार नही है।

गोदनामा रजिस्टर्ड नही है तो गैर–निगरानीकर्ता उक्त गोदनामें को सिविल कोर्ट में चुनौती दें। किसी अन–रजिस्टर्ड दस्तावेज से किसी व्यक्ति का अधिकार खत्म नही हो जाता है और ना ही वह गलत साबित हो जाता है। कुर्सीनामा जारी करना ग्राम पंचायत की नियमावली में ग्राम पंचायत को अधिकार है और उसी अधिकार के तहत निगरानीकार को ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर कुर्सीनामा जारी किया है।

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ ने निर्णय में भारी त्रुटि की है और अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो कि विधि सम्मत नही है। पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः पंचायत समिति गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाये एवं ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द का आदेश बहाल रखा जावें।

विद्वान् अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस गैर–निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने कथन किया कि पंचायत समिति गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय के जरिये ग्राम पंचायत सींगोद खुर्द द्वारा जारी कुर्सीनामें को निरस्त फरमा दिया गया जो पूर्णतया विधि सम्मत है क्योंकि स्व0 उम्मेद सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद नही लिया गया था, ना ही निगरानीकर्ता स्व0 उम्मेद सिंह का दत्तक पुत्र है, ना ही इस बाबत् निगरानीकर्ता प्रदीप सिंह द्वारा कोई गोदनामा ही प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत सींगोद के समक्ष जो शपथ पत्र अन्य व्यक्तियों के 10/– रूपयें अक्षरे दस रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है ऐसे स्टाम्प पेपर मात्र से किसी भी व्यक्ति के द्वारा दत्तक ग्रहण करने का निस्तारण नही किया जा सकता।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

विचाराधीन प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि स्व0 उम्मेद सिंह द्वारा अपने भाई मोहन सिंह के पुत्र प्रदीप सिंह को गोद लिया गया है या नही? निगरानीकर्ता द्वारा स्व0 उम्मेद सिंह के गोद जाने के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है ना ही स्वयं का कोई शैक्षणिक दस्तावेज ही पेश किये गये है जिससे साबित होता हो कि निगरानीकर्ता को स्व0 उम्मेद सिंह द्वारा गोद लिया गया हो। केवल मात्र किसी सिविल न्यायालय द्वारा सिविल प्रकरण में निगरानीकर्ता को आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत कायम मुकामान के रूप में पक्षकार बनाये जाने से यह साबित नही होता है कि निगरानीकर्ता को स्व0 उम्मेद सिंह द्वारा गोद लिया गया हो जिसके मध्यनजर भी निगरानीधीन आदेश निरस्तनीय नही है तथा विधि सम्मत है। निगरानीकर्ता स्वयं को स्व0 उम्मेद सिंह का दत्तक पुत्र होना वर्णित करता है जबकि गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 निगरानीकर्ता के स्व0 उम्मेद सिंह के दत्तक पुत्र होने के तथ्य से इंकार कर रही है ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता को स्वयं के स्व0 उम्मेद सिंह के गोद जाने के तथ्य को सिविल न्यायालय से सिविल अधिकारों की घोषणा के तहत घोषित करवाया जाना चाहिये जिस संदर्भ में निगरानीकर्ता द्वारा आज दिवस तक भी कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई है।

स्व0 उम्मेद सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी निगरानीकर्ता को या अन्य किसी भी व्यक्ति को कभी भी गोद नही लिया गया तथा स्व0 उम्मेद सिंह से मिलिभगत कर ही उनके छोटे भाई मोहन सिंह ने सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्व0 उम्मेद सिंह की दौराने वाद मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण में जटिलतायें उत्पन्न करने के मध्यनजर निगरानीकर्ता द्वारा अपने पिता मोहन सिंह से मिलिभगत कर ग्राम पंचायत से मिथ्या आधार पर कुर्सीनामा प्राप्त कर निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं को उक्त कुर्सीनामें में स्व0 उम्मेद सिंह का दत्तक पुत्र होना जाहिर किया गया है।

कानूनन निगरानीकर्ता को स्व0 उम्मेद सिंह के दत्तक पुत्र होने संबंधी सिविल न्यायालय से घोषणा करवानी चाहिये जो कि निगरानीकर्ता द्वारा नही करवायी गई, ना ही निगरानीकर्ता द्वारा उल्लेखित किया गया है कि निगरानीकर्ता को स्व0 उम्मेद सिंह द्वारा कब कौनसी अवस्था में दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया गया तथा क्या दत्तक ग्रहण विधि सम्मत भी रहा है या नही उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर भी निगरानीधीन आदेश विधि सम्मत है। पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2016 पूर्णतया विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त फरमायी जावें।

गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 लगा0 5 के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रदीप सिंह को ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द द्वारा दिनांक 26.10.2015 को कुर्सीनामा जारी किया गया है। स्व0 उम्मेद सिंह की मृत्यु दिनांक 01.08.2015 को व उनकी पत्नी माल कंवर की मृत्यु दिनांक 20.01.2015 को हुई है। वैधानिक दत्तक के माता पिता व प्राकृतिक माता पिता की व्यक्तिशः उपस्थिति व पारस्परिक सहमति गोद लेने व देने की रस्म में आवश्यक तत्व है। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियमों में 15 वर्ष से अधिक आयु के बालक का गोद लिया जाना व दिया जाना अनुज्ञेय नही है। पगडी की रस्म स्व0 उम्मेद सिंह के 12वें के दिन सम्पादित हुई है। तत्समय तथाकथित दत्तक माता पिता की उपस्थिति व सहमति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। पंचायत समिति गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली सहित प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानीकार द्वारा पंचायत समिति गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध हस्तगत निगरानी पेश की गई है। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द द्वारा ग्राम पंचायत की पाक्षिक मिंटीग में दिनांक 20.10.2015 में प्रदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सर्वसम्मति से निर्णय कर उम्मेद सिंह पुत्र कान सिंह के फौत होने पर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) सत्यमेव जयते जयपुर जिला–जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

कुर्सीनामा सं0 ग्रा.प./2015–16/156 दिनांक 26.10.2015 जारी किया गया है। जिसमें उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 कान सिंह के फौत होने पर प्रदीप सिंह को दत्तक पुत्र अंकित होने का कुर्सीनामा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द द्वारा जारी किया गया कुर्सीनामा कोरम द्वारा विचार विमर्श कर जारी किया गया है। कुर्सीनामा जारी करना ग्राम पचांयत की नियमावली में है। ग्राम पंचायत सिंगोद खुर्द ने निगरानीकार के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करके व ग्राम पंचायत में बैठक में प्रस्ताव लेकर कुर्सीनामा जारी किया है, जिसका की ग्राम पंचायत को अधिकार था। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में मात्र कुर्सीनामा जारी किया गया है ना कि दत्तक पुत्र की घोषणा की है, ना ही इसे गोदनामा की सज्ञा दी गई है। मृतक उम्मेद सिह के निधन पर उनके 12वें पर "पाग की रस्म" ग्राम वासियों एवं परिवार जनों के समक्ष की जाने के संबंध में सूरजमल पुत्र गोदूराम, मोहन सिंह शेखावत पुत्र कान सिंह, मदन सिंह शेखावत पुत्र छोग सिंह एवं नारायण सिंह शेखावत पुत्र श्री बन्ने सिंह द्वारा 10/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर पृथक–पृथक शपथ पत्र पेश किये गये है जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "सामाजिक व पारिवारिक परम्परा एवं रीतिरिवाजों के अनुसार समाज के रिश्तेदार व परिवार के एवं गांव के गणमान्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष दिनांक 12.08.2015 को स्व0 उम्मेद सिंह का पाग दस्तूर दत्तक पुत्र प्रदीप सिंह को हो गया है"। निगीरानीकार द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड की प्रति में भी उम्मेद सिंह का बेटा प्रदीप सिंह अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत दत्तक ग्रहण विलेख के अनुसार नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 24.12.2011 को दत्तक ग्रहण विलेख तस्दीक किया गया है।

दत्तक ग्रहण विलेख (गोदनामा) में किसी प्रकार का कोई संदेह है तो गैरनिगारानीकार द्वारा इसे सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसी अन–रजिस्टर्ड दस्तावेज से किसी व्यक्ति का अधिकार खत्म नही हो जाते हैं, और ना ही वह गलत साबित हो जाता है। कुर्सीनामा जारी करना ग्राम पंचायत की नियमावली में ग्राम पंचायत का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत निगरानीकार को ग्राम पंचायत द्वारा सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर कुर्सीनामा जारी किया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार पाक्षिक बैठक में प्रकरण के संबंध में विचारविमर्श कर मृतक उम्मेद सिंह पुत्र कानसिंह का कुर्सीनामा जारी किया गया है जो नियमानुसार उचित है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। पंचायत समिति गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

28.8.19

(डॉ अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

Scanned by CamScanner